नगर पंचायत अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017
भाग–एक

1 **(क) प्रारम्भिक**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन (एल0ए0)–खण्ड IV दिनांक 16.10.08 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत अर्की, जिला सोलन के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान नियन्त्रण आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में निम्न सचिव एवं प्रधान कार्यरत्त रहेः–

क्र0सं0	अवधि	सचिव/आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम
1	1.4.15 से 2.9.15	श्री गिरीशमनी शकलानी
2	17.10.15 से 3.10.16	श्री हेम चन्द कश्यप
3	4.10.16 से 19.12.16	श्री रविश चन्देल
4	20.12.16 से 31.3.2017	श्री अजमेर सिंह

क्र0सं0	अवधि	प्रधान
1	1.4.15 से 26.1.16	श्रीमति सीमा शर्मा
2	27.1.16 से 31.3.17	श्रीमति सावित्री गुप्ता

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि (लाखों में) ₹
1	अनुदान राशि का अवरोधन	5.1	66.71
2	अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित न करना	5.2	44.73
3	गृह कर की राशि वसूली हेतु शेष	9	10.79

4	गृहकर की बकाया राशि के आरम्भिक शेष के अन्तर के सन्दर्भ में	9.1	23.44
5	सरकार के निर्देशानुसार गृह कर की दर में वृद्धि न करने के कारण वित्तीय हानि	9.4	10.71
6	दुकानों के किराए की वसूली शेष	10	2.64
7	दुकानों के किराए की बकाया राशि के आरम्भिक शेष मे अन्तर	10.1	0.25
8	मोबाईल टावर शुल्क की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	14	0.37
9	नगर पंचायत द्वारा स्थापना पर निर्धारित प्रावधानों से अधिक व्यय करना	15	48.34

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेंदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–"क"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जोकि अत्यन्त चिन्ता का विषय है। अतः नगर पंचायत द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

नगर पंचायत अर्की के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण दिनांक 13.12.17 से 15.1.18 तक श्री हरदेव सिंह शांडिल, सहायक नियन्त्रक व श्री सुनील कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा नगर पंचायत अर्की स्थित कार्यालय में किया गया। विस्तृत जाँच हेतु आय के लिए माह 4/15 तथा 4/16 एवं व्यय के लिए 11/15 व 1/17 के लेखाओं का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण करने का शुल्क ₹36200 आंका गया जिसे रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला—9 को भेजने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 19 दिनांक 15. 1.18 द्वारा सचिव, नगर पंचायत अर्की से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः—

नगर पंचायत अर्की के लेखाओं अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "ख"** के अनुसार निम्न प्रकार से है।

Financial Year	Accounting Heads	Opening Balance	Income/ Receipts	Total	Expenditure	Closing Balance
2015-16	Own Source	2923710.15	1768058	4691768.15	1776439.88	2915328.27
	Grants	2894391.00	8158149	11052540	8157975.00	2894565.00
	Pension Fund	777379.00	212151	989530	शून्य	989530.00
	Total	**6595480.15**	**10138358**	**16733838.15**	**9934414.88**	**6799423.27**

Financial Year	Accounting Heads	Opening Balance	Income/ Receipts	Total	Expenditure	Closing Balance
2016-17	Own Source	2915328.27	2053274.00	4968602.27	1122868.68	3845733.59
	Grants	2894565.00	11501442.00	14396007.00	7725048.00	6670959.00
	Pension Fund	989530.00	222971.00	1212501.00	306290.00	906211.00
	Total	**6799423.27**	**13777687.00**	**20577110.27**	**9154206.68**	**11422903.59**

4.1 दिनांक 31.3.2017 को हस्तगत रोकड़/सावधि जमा/बैंक खातों के अनुसार शेष परिशिष्ट "ख" के अनुसार निम्न प्रकार से हैः—

Sr.No.	A/c No.	Bank Name	Amt.
1	9843	UCO Bank Arki	6704420.83
2	12763	PNB Arki	1700791.34
3	8262	SBI Batal	1606775.32
4	4647	JCCB Arki	906211.00

5	4688	JCCB Arki	615085.00
6	Post Office Saving Account		1523.50
		Total	**11534806.99**
Add:-	Cash in hand as on 31.3.17		4107.00
	Grand Total		**11538913.99**

दिनांक 31.3.2017 को वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही के अनुसार शेष	₹11422903.59
दिनांक 31.3.2017 को हस्तगत रोकड़/सावधि जमा/बैंक खातों के अनुसार शेष	₹11538913.99
दिनांक 31.3.2017 को वित्तीय स्थिति एवं बैंक खातों में दर्शाए गए शेषों में अन्तर (₹11422903.59–₹11538913.99)	₹116010.40

4.2 बैंक समाधान विवरण दिनांक 31.3.2017

Particulars	Amt.
Closing balance as per cash book	11422903.59
Add:- Cheque issued but not yet drawn	131379.00
Less:- Cheque deposited but not yet credited by bank	15370.00
Total	**11538912.59**
Add:- Difference as per BRS of previous Audit Reports 4/07 to 3/10	1.40
Closing Balance in bank & Cash in hand	11538913.99

4.3 बिना लेन–देन वाले बैंक बचत खातों को जारी रखने का औचित्य स्पष्ट न करना

उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि नगर पंचायत द्वारा जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक अर्की, के बचत खाता संख्या 4625 (Old 4688) में छह माही ब्याज के अतिरिक्त अन्य कोई भी वित्तीय लेन–देन नहीं हुआ है तथा इस बचत खाते में दिनांक 31.3.2017 को ₹615085 अन्तिम शेष में अनुपयुक्त पड़े थे, जिससे यह बचत खाता निष्क्रिय सा प्रतीत होता है। इसी प्रकार डाकघर बचत खाते में भी दिनांक 31.3.2017 को ₹1523.50 अन्तिम शेष में अनुपयुक्त पड़े थे जोकि पूर्व अंकेक्षण अवधि 1.4.2010 से 31.3.

2015 से शेष चले आ रहे हैं, न तो वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान इसमें कोई वित्तीय लेन–दे नही हुआ है और न ही इस खाते की पास बुक को अद्यतन किया गया है, जिससे यह बचत खाता भी निष्क्रिय प्रतीत होता है। अतः इन बचत खातों को बिना वित्तीय लेन–देन के जारी रखने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इन खातों को बन्द करके जमा पड़ी अनुपयुक्त राशि को नगर पंचायत के अन्य बचत खाते में हस्तांतरण करवाकर सदुपयोग किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 अनुदानः–

सचिव, नगर पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "ग"** के माध्यम से अंकेक्षण को अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के दौरान अनुदान की प्राप्तियों एवं व्यय से सम्बन्धित उपलब्ध करवाए गए विवरण का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

5.1 अनुदान ₹66.71 लाख उपयोग हेतु शेषः–

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को **परिशिष्ट "ग"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी के अवलोंकन पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2017 को ₹6670959 की अनुदान राशि व्यय/उपयोग हेतु शेष थी। अतः अनुपयोग राशियों को निर्धारित समय के अन्दर सक्षम प्राधिकारी से उपयोग की समय बढ़ौतरी प्राप्त कर उन्हीं उद्देश्य हेतु खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिस उद्देश्य हेतु इन्हें स्वीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त इनके व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र भी उचित समय के अन्दर जारी करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5.2 ₹44.73 लाख के अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित न करना

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को **परिशिष्ट "ग"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के दौरान ₹4473126 के अनुदान से व्यय की गई राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित ही नहीं किए गए थे। वर्णित अभिलेखों के अभाव में अनुदान से व्यय की गई राशियों की अंकेक्षण में सत्यापना नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं/कार्यालयों को अग्रेषित किए जाने

सुनिश्चित किए जाएं। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाए जाने के साथ–साथ जारी किए उपयोगिता प्रमाण पत्र की सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

5.3 अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था अर्थात इसमें प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान में से किए गए व्यय का विस्तृत विवरण नहीं रखा गया था, जिसके अभाव में अनुदान से किए गए व्यय व तदानुसार जारी उपयोगिता प्रमाण पत्रों की अंकेक्षण में सत्यापना नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 निवेशः–

अंकेक्षण अवधि के अन्त में विभिन्न खातों में निवेशित/जमा राशि का विवरण **परिशिष्ट "ख"** में दिया गया है, जिसके अवलोकन पर विदित होता है कि रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न बैकों में ₹11534806.99 की बड़ी रकम बचत खातों में जमा थी। इस सम्बन्ध में परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इतनी बड़ी राशि को बचत खाते में जमा रखने की अपेक्षा, पंचायत की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अल्प व दीर्घकालिक सावधिक जमा में निवेशित करने की सम्भावना को तलाशा जाए, ताकि पंचायत की विकास गतिविधियों को प्रभावित किए बिना ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

7 दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों/वर्गीकृत खाता बहियों का रख रखाव न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों/वर्गीकृत खाता बहियों का रख रखाव नहीं किया गया था, जबकि निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा दिनांक 1.4.2009 से दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों का रख रखाव करने के निर्देश दिए गए थे। वर्णित निर्देशों की अनुपालना न करने के कारण जहां निदेशक के आदेशों की उल्लंघना हो रही है, वहीं किस मद से कितनी आय प्राप्त हुई और किस मद पर कितना खर्च हुआ तथा खर्च की गई राशि अनुमोदित बजट प्रावधान से अधिक तो नहीं या अनुदान से प्राप्त राशि का उसी उद्देश्य हेतु व प्राप्त अनुदान

की राशि की सीमा तक ही व्यय किया गया है या नहीं इत्यादि तथ्यों/सूचना की भी पुष्टि नहीं की जा सकती। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेख की तैयार करना सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित रजिस्टर/अभिलेख का भी नगर पंचायत द्वारा रख–रखाव नहीं किया जा रहा था:–

1 कांट्रेक्टर लैजर

2 सामान्य भविष्य निधि/अंशदाई पेन्शन योजना की रोकड़ बहियां/खाता बहियां

3 पेन्शन भुगतान रजिस्टर (PCR)

4 स्थापना चैक रजिस्टर (ECR)

5 बिजली उपकरण मांग व संग्रहण रजिस्टर

6 मदिरा शुल्क मांग व संग्रहण रजिस्टर

8 रोकड़ बही को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित न करना

हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल लेखा संहिता के अध्याय–III के पैरा 19 (3) के अनुसार रोकड़ बही अध्यक्ष, नगर पंचायत द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित था, किन्तु अंकेक्षण अवधि के दौरान ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, जोकि उक्त वर्णित प्रावधान के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी इस अनियमितता का पैरा संख्या 8 में उल्लेख होने के बावजूद भी कोई कार्यवही न करना चिन्ता का विषय है। अतः इस अनियमितत बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा रोकड़ बही को लेखा संहिता के प्रावधानानुसार सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 गृहकर ₹10.79 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण को **परिशिष्ट "घ"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार गृहकर की ₹1079473 दिनांक 31.3.2017 को वसूली हेतु शेष थी, जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः वर्णित शेष राशि की वसूली हेतु तुरन्त विशेष पग उठाये जाने सुनिश्चित किए जाएं तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

9.1 गृहकर की बकाया राशि के आरम्भिक शेष में ₹23.44 लाख का अन्तर

अंकेक्षण को **परिशिष्ट संख्या "घ"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 1.4.2015 को देय गृहकर की बकाया राशि के आरम्भिक शेष को ₹1054394 दर्शाया गया

था। जबकि पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2010 से 31.3.2015 तक पैरा संख्या 9 के अनुसार दिनांक 31.3.2015 को देय बकाया गृहकर का अन्तिम शेष ₹3397946 था। इस प्रकार अन्तिम व आरम्भिक शेष में ₹2343552 की राशि का अन्तर था। इस अन्तर को स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 2 दिनांक 21.12.2017 द्वारा नगर पंचायत से अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नही हुआ। अतः अब इस अन्तर बारे सम्बन्धित अभिलेख अनुसार स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुपालना की सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

9.2 नियमों के प्रतिकूल 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल की छूट प्रदान कर गृहकर का निर्धारण/वसूली करने के कारण वित्तीय हानि

गृहकर निर्धारण/वसूली के चयनित प्रकरणों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा भवन मालिकों से 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल की छूट प्रदान कर गृहकर का निर्धारण/वसूली की गई थी, जोकि अनियमित है, क्योंकि वर्णित छूट से सम्बन्धित नियमों की धारा 2 (1) में प्रावधान को The HP Municipality (Amendment) Act, 2011 (Act 33 of 2011) जोकि हिमाचल प्रदेश सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 2.8.2011 में प्रकाशित हुआ है, द्वारा समाप्त कर दिया गया है तथा जिस संशोधन को सभी कार्यकारी अधिकारी/सचिवों को यथानुसार लागू करने हेतु निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या ULB-H(A)(3)-9/86-III-17741-17788 दिनांक 1.9.2011 द्वारा परिचालित किया गया था तथा अधिसूचना संख्या UD-A(3) 5/2010 दिनांक 16.2.2012 के अनुसार इसे दिनांक 20.2.2012 से लागू किया जाना था। अतः दिनांक 20.2.2012 से सभी भवन मालिकों से क्षेत्रफल में कोई भी छूट प्रदान किए बिना गृहकर का निर्धारण/वसूली की जानी अपेक्षित थी। ऐसा न करके जहां नियमों की अवहेलना की गई, वहीं नगर पंचायत को आय के रूप में लगातार वित्तीय हानि भी हो रही है। लेखा परीक्षा अधियाचना संख्या 3 दिनांक 23.12.2017 द्वारा नगर पंचायत से उक्त गृहकर की छूट बारे नियमानुसार स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः नियमों के प्रतिकूल नगर पंचायत द्वारा भवन मालिकों से 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल की छूट प्रदान कर गृहकर का निर्धारण/वसूली करने का औचित्य नियमानुसार स्पष्ट किया जाए अन्यथा नियमानुसार गृहकर का पुनर्निर्धारण करके गृहकर से सम्बन्धित अभिलेख का यथानुसार अद्यतन करते हुये गृहकर की बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.3 गृहकर दाताओं को 10% छूट प्रदान करने के कारण नगर पंचायत को आय के रूप में वित्तीय हानि

गृहकर निर्धारण/वसूली के चयनित प्रकरणों के उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा गृहकर दाताओं को गृहकर की राशि नियत समय से पूर्व जमा करवाने पर 10% राशि की छूट प्रदान की गई थी, जैसा कि **परिशिष्ट संख्या "घ"** पर उादहरणस्वरूप प्रस्तुत कुछ प्रकरणों से स्पष्ट विदित होता है, किन्तु निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या ULB-H©(9)-1 दिनांक 8.9.1998 द्वारा परिचालित सम्बन्धित नियमों के प्रावधानों व दिशा–निर्देशों में गृहकर में ऐसी छूट प्रदान करने का कोई भी प्रावधान नहीं है तथा नगर पंचायत द्वारा अपने स्त्तर पर ऐसी छूट प्रदान करना जहां, अनियमित प्रतीत होता है, वहं इस छूट के कारण नगर पंचायत को आय के रूप में वित्तीय हानि भी हुई है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 3 दिनांक 23.12. 2017 द्वारा नगर पंचायत से इस छूट दिये जाने बारे स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः नियमों के प्रतिकूल नगर पंचायत द्वारा गृहकर दाताओं को गृहकर में 10% छूट प्रदान करने को या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए अन्यथा सभी प्रकरणों में गृहकर में प्रदान की गई छूट की राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

9.4 सरकार के निर्देशानुसार गृहकर की दर में वृद्धि न करने के कारण ₹10.71 लाख की वित्तीय हानि

निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या UDH © (10)-7/98-II दिनांक 17.11. 2003 के अनुसार अवधि 2002–03 में 7.5% की दर से गृहकर लगाकर इसमें प्रति वर्ष 1% की वृद्धि करके अवधि 2006–07 तक गृहकर की दर को 12.5% किया जाना अपेक्षित था, किन्तु नगर पंचायत द्वारा नियमानुसार कोई वृद्धि नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप पंचायत को निम्न विवरणानुसार ₹1071432 की गृहकर की हानि हुई। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 3 दिनांक 23.12.2017 द्वारा नगर पंचायत से अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण अवधि 1.4.2010 से 31.3.2015 तक के पैरा 9.4 द्वारा भी परामर्श दिया गया था, किन्तु उसके बावजूद भी सरकार के निर्देशानुसार कार्यवाही अमल में न लाना गम्भीर अनियमितता है।

अतः पुनः परामर्श दिया जाता है कि सरकार के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वित्तीय वर्ष	**7.5% की दर से गृहकर की मांग की राशि**	**12.5% की दर से गृहकर की अपेक्षित मांग की राशि**	**अन्तर**
2015–16	806652	1344420	537768
2016–17	800496	1334160	533664
कुल जोड़	**1607148**	**2678580**	**1071432**

10 दिनांक 31.3.2017 को दुकानों के किराए की ₹2.64 लाख की वसूली शेष

अंकेक्षण को **परिशिष्ट संख्या "ङ"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 31.3.2017 को दुकानो के देय किराए के रूप में ₹264200 की वसूली शेष थी, इस राशि की वसूली हेतु तुरन्त विशेष पग उठाये जाने सुनिश्चित किये जाएं तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

10.1 दुकानों के किराए की बकाया राशि के आरम्भिक शेष में ₹0.25 लाख का अन्तर

अंकेक्षण को **परिशिष्ट संख्या "ङ"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 1.4.2015 को दुकानों के देय किराए की वसूली हेतु आरम्भिक शेष ₹248700 दर्शाई गई थी, जबकि पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2010 से 31.3.2015 तक के पैरा संख्या 10 के अनुसार दिनांक 31.3.2015 को दुकानों के देय किराए की वसूली हेतु अन्तिम शेष ₹274158 था। इस प्रकार अन्तिम व आरम्भिक शेष में ₹25458 का अन्तर था जोकि अनियमित है तथा जिसे अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया। अतः अब इस अन्तर को विभागीय स्तर पर स्पष्ट करते हुये सम्बन्धित अभिलेख का अद्यतन सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना की सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

10.2 अनुबन्ध में देय किराये की राशि को विलम्ब से जमा करवाने का दण्ड शुल्क का प्रावधान न करना

दुकानों के किराये से सम्बन्धित चयनित प्रकरणों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि अधिकतर प्रकरणों में किरायेदारों द्वारा नियमित रूप से प्रतिमाह देय किराया जमा करवाने की अपेक्षा विलम्ब से एक मुश्त

राशि के रूप में अपनी सुविधानुसार जमा करवाया गया था तथा किरायेदार से हुए अनुबन्ध में देय किराये की राशि को विलम्ब से जमा करवाने पर दण्ड शुल्क का कोई प्रावधान नहीं था, जिसके अभाव में किरायेदारों पर देय किराया नियमित रूप से प्रतिमाह जमा करवाने का कोई दबाव नहीं रहता। इस कमी के कारण जहां देय किराये की वसूली हेतु बकाया राशि बढ़ती रहती है, वहीं नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति व विकास गतिविधियों को भी प्रभावित करती है। अतः इस सम्बन्ध में परामर्श दिया जाता है कि किरायेदार से हुए अनुबन्ध में देय किराये की राशि को विलम्ब से जमा करवाने पर दण्ड शुल्क का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए ताकि किरायेदारों पर देय किराया नियमित रूप से प्रतिमाह समय पर जमा करवाने का दबाव बना रहे तथा नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति व विकास गतिविधियां भी प्रभावित न हो तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

11 वित्तीय वर्ष 2015–16 व 2016–17 के दौरान देय बिजली उपकर की राशि की वसूली न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या LSG (B) (1)-9/94 दिनांक 8.11.1999 एवं हिमाचल प्रदेश म्यूनिसपल अधिनियम की धारा 69 के अनुसार नगर पंचायत की सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई बिजली पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से बिजली विभाग द्वारा बिजली उपकर वसूल करके सम्बन्धित नगर पंचायत को भुगतान किया जाना प्रावधित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान कोई भी राशि बिजली विभाग से प्राप्त नही हुई और न ही नगर पंचायत द्वारा उक्त राशि की वसूली हेतु कोई प्रयास किये गए। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित विभाग से उक्त राशि की वसूली एवं सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख/आंकड़े एकत्रित करके आगामी अंकेक्षण पर आवश्यक पड़ताल हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 मदिरा शुल्क से प्राप्त आय से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत न करना

नगर पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "च"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग से नगर पंचायत परिक्षेत्र में बेची गई शराब की बोतलों पर एक रूपया प्रति बोतल की दर से नगर पंचायत को ₹587483 की आय प्राप्त हुई थी परन्तु नगर पंचायत परिक्षेत्र में वर्षवार विक्रय की गई मदिरा की बोतलों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में प्राप्त उपरोक्त आय की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें तथा

भविष्य में आवश्यक अभिलेख का संरक्षण करना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार आपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत किया जाए।

13 मोबाईल टावर शुल्क ₹0.37 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण को **परिशिष्ट संख्या "छ"** द्वारा उपलबध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 31.3.2017 को मोबाईल टावर शुल्क ₹36750 वसूली हेतु शेष थी, जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। इस राशि की वसूली हेतु तुरन्त विशेष पग उठाए जाने सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 स्थापना पर निर्धारित प्रावधानों से ₹48.34 लाख का अधिक व्यय करना

Municipality Act, 1994 की धारा 53(1) एवं इस सन्दर्भ में सरकार द्वारा दिनांक 26.6.2001 को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार नगर पालिकाओं के स्थापना व्यय को नियन्त्रण में रखने हेतु प्रावधान किए गए है, जिसके अनुसार नगर पालिकाओं के लिए स्थापना पर व्यय उनके कुल व्यय के एक तिहाई भाग (1/3) से अधिक नहीं होना चाहिए। अंकेक्षण अवधि के दौरान सचिव द्वारा **परिशिष्ट संख्या "ज"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा स्थापना पर व्यय निर्धारित सीमा से कहीं अधिक किया गया था, जिसका विवरण निम्न हैः–

वित्तीय वर्ष	**कुल व्यय (₹)**	**निर्धारित सीमा 1/3 अनुसार व्यय जो स्थापना पर किया जना चाहिए था**	**स्थापना पर किया गया वास्तविक व्यय (₹)**	**स्थापना पर निर्धारित सीमा से अधिक किया गया व्यय ₹%**
2015–16	9934414	3311471	5036725	1725254 (52.09%)
2016–17	9154206	3051402	6160335	3108933 (101.88%)
कुल जोड़	19088620	6362873	11197060	4834187 (76.98%)

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट विदित होता है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर पंचायत द्वारा वर्णित नियमों व दिशा निर्देशों के प्रतिकूल ₹4834187 अर्थात 76.98**%** की राशि स्थापना पर अनियमित रूप से अधिक व्यय की गई थी। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस अनियमित व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य में

स्थापना पर व्यय वर्णित नियमों व दिशा–निर्देशों द्वारा निर्धारित सीमा से भीतर ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावें के रूप में ₹1257 का अधिक भुगतान

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री मस्त राम बेलदार द्वारा निम्न चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल कार्यालय में प्रस्तुत किये गयेः–

क्र0सं0	बिल का विवरण	राशि
1	आई0जी0एम0सी0 शिमला का अवधि 11 अगस्त 2015 से 29 अगस्त 2015 का स्वयं का बिल (Cr. No. 20150-7129775 दिनांक 11.7.2015)	6076
2	आई0जी0एम0सी0 शिमला का अवधि 10 जनवरी 2015 से 3 जुलाई 2015 का स्वयं का बिल (Cr. No. 201312088956 दिनांक 11.7.2015)	3230
	योग	**9306**

इस प्रकार उक्त बिलों का योग ₹9306 बनता है जबकि भुगतान वाउचर संख्या 19, दिनांक 10.11.2015 द्वारा ₹10563 का भुगतान किया गया। इस प्रकार उक्त कर्मचारी को ₹1257 (10563–9306)=का अधिक भुगतान किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1 दिनांक 18.12.2017 द्वारा नगर पंचायत से अनुरोध किया गया जिसके प्रत्युत्तर में अंकेक्षण को मौखिक रूप से सूचित किया गया कि उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से शीघ्र करके अनुपालना से अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

(ख) चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के रूप में ₹778 का अनियमित भुगतानः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में किया गया ₹778 का भुगतान देय नहीं है। अतः इस राशि की शीघ्र वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

वा0सं0	दिनांक	कर्मचारी का नाम व पद	औषधी का नाम जो देय नहीं है	राशि	टिप्पणी
19	10.11.2015	श्री मस्त राम बेलदार	DURO-30 DEFDURI	290.00 488.39 778.39	चिकित्सक द्वारा औषधियां Prescribe नहीं की गई थी

16 गलत दर से वेतन/भत्ते आहरण करने के कारण वेतन व भत्तों के रूप में ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान

वेतन व्यय का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्न वर्णित कर्मचारियों को देय वेतन की अपेक्षा उच्च दर से वेतन आहरण करने के कारण ₹1800 के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया गया था, जिसकी पूर्ण छानबीन करके नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथ अधिक भुगतान की राशि की सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूली सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(i) श्री रमेश चन्द, बेलदार का वेतनमान 4900–10680+जी0पी0 1650 में दिनांक 01.9.2014 को वेतन 6380+1650=8030 था। दिनांक 1.9.2015 के उपरान्त उसका वेतन गलत निर्धारित करने के कारण उसे निम्नविवरणानुसार ₹646 का अधिक भुगतान किया गया।

अवधि	आहरित वेतन (प्रतिमाह ₹ में)	देय वेतन (प्रतिमाह ₹ में)	अन्तर (₹ में)	अधिक भुगतान की राशि (₹ में)
1.9.15 से 31.12.15	6630+1650GP=8280	6620+1650GP=8270	10+12DA(119%)=22	22x4=88
1.1.16 से 30.6.16	6630+1650GP=8280	6620+1650GP=8270	10+12DA(119%)=22	22x6=132
1.7.16 से 31.8.16	6630+1650GP=8270	6620+1640GP=8260	10+13DA(127%)=23	23x2=46
1.9.16 से 31.12.16	6880+1650GP=8530	6870+1650GP=8520	10+13DA (127%)=23	23x4=92
1.1.17 से 30.6.17	6880+1650GP=8530	6870+1650GP=8520	10+14DA(137%)=24	24x6=144
1.7.17 से 31.8.17	6880+1650GP=8530	6870+1650GP=8520	10+14DA(137%)=24	24x2=48
1.9.17 से 31.12.17	7140+1650GP=8790	7130+1650GP=8760	10+14DA(137%)=24	24x4=96
			कुल जोड़	**₹646**

(ii) श्री सुरेश चन्द, बेलदार का वेतनमान 4900–10680+जी0पी0 1650 में दिनांक 1.8.2014 को वेतन 6380+1650=8030 था। दिनांक 1.8.2015 के उपरान्त उसका वेतन गलत निर्धारित करने के कारण उसे निम्नविवरणानुसार ₹668 का अधिक भुगतान किया गया।

अवधि	आहरित वेतन (प्रतिमाह ₹ में)	देय वेतन (प्रतिमाह ₹ में)	अन्तर (₹ में)	अधिक भुगतान की राशि (₹ में)
1.8.15 से 31.12.15	6630+1650 GP=8280	6620+1650GP = 8270	10+12DA(119%) = 22	22x5=110
1.1.16 से 30.6.16	6630+1650GP=8280	6620+1650GP =8270	10+12DA(119%) =22	22x6=132
1.7.16 से 31.7.16	6630+1650GP=8280	6620+1650GP =8270	10+13DA(127%) =23	23x1=23
1.8.16 से 31.12.16	6880+1650GP=8530	6870+1650GP =8520	10+13 DA(127%)=23	23x5=115
1.1.17 से 30.6.17	6880+1650GP=8530	6870+1650GP =8520	10+14DA(137%) =24	24x6=144
1.7.17 से 31.7.17	6880+1650GP=8530	6870+1650GP =8520	10+14DA(137%) =24	24x1=24
1.8.17 से 1.12.17	7140+1650GP=8790	7130+1650GP =8780	10+14DA(137%) =24	24x5=120
			कुल जोड़	**₹668**

(iii) श्री विद्या देवी, सेवादार का वेतनमान 4900–106800+जी0पी0 1650 में दिनांक 31.3.2016 को वेतन 9860+1650=11510 था। कार्यालय आदेश संख्या NPA/Estt./2016-306 to 308 दिनांक 31.3.2016 द्वारा पदोन्नति उपरान्त लिपिक के पद पर दिनांक 1.4.2016 से वेतनमान 5910–20200+जी0पी0 1900 में वेतन निर्धारण उपरान्त ₹486 का अधिक भुगतान निम्न विवरणानुसार किया गया।

अवधि	आहरित वेतन (प्रतिमाह ₹ में)	देय वेतन (प्रतिमाह ₹ में)	अन्तर (₹ में)	अधिक भुगतान की राशि (₹ में)
1.4.16 से 30.6.16	10220+1900GP=12120	10210+1900GP=12110	10x12DA (125%)=22	22x3=66
1.7.16 से	10220+1900GP=12120	10210+1900GP=12110	10+13DA (127%)=23	23x6=138

31.12.16				
1.1.17 से 31.3.17	10220+1900GP=12120	10210+1900GP=12110	10+13DA(130%)=23	23x3=69
1.4.17 से 30.6.17	10590+1900GP=12490	10580+1900GP=12480	10+13DA(130%)=23	23x3=69
1.7.17 से 31.12.17	10590+1900GP=12490	10580+1900GP=12480	10+14DA(137%)=24	24x6=144
			कुल जोड़	**₹486**

17 सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य में ₹0.14 लाख का अनियमित व्यय

निम्न विवरणानुसार श्री पुष्पेन्द्र भार्गव संविदाकार को C/O Samudayak Bhawan on the existing store building of Nagar Panchayat Arki in ward No. 3 के कार्यों के लिए आबंटित राशि से अधिक राशि में पूर्ण करने पर ठेकेदार को ₹14423 का अधिक भुगतान किया गया। जोकि अनाधिकृत होने के कारण अनियमित है, क्योंकि नियमानुसार वर्णित राशि का भुगतान ठेकेदार को सक्षम प्राधिकारी से Deviation Statement अनुमोदित करवाए जाने के उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित था, जोकि अंकेक्षण को जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। अतः इस अनियमितता का पूर्ण औचित्य प्रस्तुत करते हुये अब या तो इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा इस अनाधिकृत भुगतान की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

चलत बिल संख्या 1st & Final माप पुस्तिका संख्या 2/2014 पृष्ठ 18 से 22

वा0सं0	आबंटन पत्र सं0 व दि0	निर्माण कार्य आबंटन राशि (₹ में)	निर्माण कार्य पूर्ण करने की राशि (₹ में)	कुल विचलन (Overall deviation) (₹ में)	Overall deviation (₹ में)
11 माह 11/15	NPA/Works/14-587 दिनांक 24.7.14	218325	232748	14423	6.60%

18 CC R/Wall की कार्य मात्रा से PVC Weepholes की कार्य मात्रा न घटाने के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹90 का अधिक भुगतान

कार्य का नामः– C/O pucca path from Kanongo hut to Patwarkhana building ward No. 3)

ठेकेदार का नामः– श्री भुवनेश कुमार

अनुबन्ध संख्याः– NPA/Works/15-456 dated 9.7.15 for ₹75385

चलत बिल संख्याः– 2nd & Final

वाउचर संख्या 13 दिनांक 7.11.15=₹49820

माप पुस्तिका संख्याः 1/2014 पृष्ठ 48 से 49 तक

ठेकेदार को अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 3 P/L CC for plain/reinforced concrete in open foundation complete in cc 1:4:8 की निष्पादित कुल मात्रा 20.07 घन मीटर हेतु ₹2250 प्रति घन मीटर की दर से ₹45158 का भुगतान किया गया था (माप पुस्तिका संख्या 1/2014 के पृष्ठ 48–49) पर दर्ज की गई विस्तृत माप प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निर्मित की गई दीवार में 4 bap dia अर्थात 100mm PVC पाईप Weepholes हेतु लगाई गई थी, जिसके लिए अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 3 के अन्तर्गत 5.25 मीटर पाईप का ₹80 की दर से ₹420 की राशि का अलग से ठेकेदार को भुगतान किया गया था, परन्तु Weepholes के क्षेत्रफल के बराबर कार्य प्रमात्रा, जोकि 22/7x0.05x0.05x5.25=0.04 घन मीटर बनती थी, को उक्त मद की कार्य प्रमात्रा को घटाए बिना ही ठेकेदार को भुगतान किया गया था, जबकि नियमानुसार निर्मित की गई दीवार की कार्य प्रमात्रा से weeplholes के क्षेत्रफल के बराबर कार्य प्रमात्रा घटाकर भुगतान किया जाना अपेक्षित था, किन्तु ऐसा न करके ठेकेदार को वर्णित कार्य मद के अन्तर्गत 0.04 घन घन मीटर कार्य प्रमात्रा हेतु ₹2250 की दर से ₹90 का अधिक भुगतान किया गया है, जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि को पूर्ण छानबीन उपरान्त उचित स्त्रोत से वसूल करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 CC R/Wall की कार्य मात्रा से PVC Weepholes की कार्य मात्रा न घटाने के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹430 का अधिक भुगतान

कार्य का नामः Repair of Shamshan Ghat Road Ward No. 3 of NP Arki

ठेकेदार का नामः Sh. YogRaj

अनुबन्ध सं0: NPA/Works/15/433 dated 4.7.15 for ₹138624

चलत बिल सं0: 1st & Final वा0सं0 11 दिनांक 7.11.15

माप पुस्तिका सं0: 1/2014 पृष्ठ 50–52 तक

ठेकेदार को अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 2 P/L CC for plain/reinforced concrete in open foundation complete in CC 1:4:8 की निष्पादित कुल मात्रा 56.11 घन मीटर हेतु ₹2150 प्रति घन मीटर की दर से ₹120637 का भुगतान किया गया था (माप पुस्तिका संख्या 1/2014 पृष्ठ–52) इस मद की निष्पादित कार्य कर गणना से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 1/2014 के पृष्ठ 50 से 51 पर दर्ज की गई विस्तृत माप प्रविष्टिों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निर्मित की गई दीवार में 4 इंच dia अर्थात 100mm PVC पाईप Weepholes हेतु लगाई गई थी, जिसके लिए अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 3 के अन्तर्गत 24.85 मीटर पाईप का ₹140 की दर से ₹3479 का अलग से ठेकेदार को भुगतान किया गया था, परन्तु Weepholes के क्षेत्रफल के बराबर कार्य प्रमात्रा, जोकि 22/7x0.05x0.05x24.85=0.20 घन मीटर बनती थी, को उक्त मद की कार्य प्रमात्रा से घटाए बिना ही ठेकेदार को भुगतान किया गया था, जबकि नियमानुसार निर्मित की गई दीवार की कार्य प्रमात्रा से Weepholes के क्षेत्रफल के बराबर कार्य प्रमात्रा घटाकर भुगतान किया जाना अपेक्षित था, किन्तु ऐसा न करके ठेकेदार को वर्णित कार्य मद के अन्तर्गत 0.20 घन मीटर कार्य प्रमात्रा हेतु ₹2150 की दर से ₹430 का अधिक भुगतान किया गया है, जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि को पूर्ण छानबीन उपरान्त उचित स्त्रोत से वसूल करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 CC R/Wall की कार्य मात्रा से PVC Weepholes की कार्य मात्रा न घटाने के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹835 का अधिक भुगतान

कार्य का नाम: C/O proposed parking complex of Nagar Panchayat Arki ward No. 3

ठेकेदार का नाम: Sh. Madho Ram-Sanan, Arki (H.P.)

अनुबन्ध सं0: NPA/Works/15/445 dated 4.7.15 for ₹297209

चलत बिल संख्या 1st Running bill वा0सं0 12 दिनांक 7.11.15 ₹417796

माप पुस्तिका सं0: 1/2014 पृष्ठ 53 से 54 तक

ठेकेदार को अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 2 P/L CC with 15% plum & curing complete including cost of form work for plain/reinforced concrete in R/Wall, B/wall की निष्पादित कुल मात्रा 130.37 घन मीटर हेतु ₹2198 प्रति घन मीटर की दर से ₹286553 का भुगतान किया गया था (माप पुस्तिका संख्या 1/2014 पृष्ठ 54) इस मद की निष्पादित कार्य की गणना से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 1/2014 पृष्ठ 39 पर दर्ज की गई विस्तृत माप प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निर्मित की गई दीवार में 4 इंच dia अर्थात 100mm PVC पाईप Weepholes हेतु लगाई गई थी, जिसके लिए अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 3 के अन्तर्गत 48.45 मीटर पाईप का ₹80 की दर से ₹3876 का अलग से ठेकेदार को भुगतान किया गया था, परन्तु Weepholes के क्षेत्रफल के बराबर कार्य प्रमात्रा, जोकि 22/7x0.05x0.05x48.45=0.38 घन मीटर बनती थी, को उक्त मद की कार्य प्रमात्रा से घटाए बिना ही ठेकेदार को भुगतान किया गया था, जबकि नियमानुसार निर्मित की गई दीवार की कार्य प्रमात्रा से Weepholes के क्षेत्रफल के बराबर कार्य प्रमात्रा घटाकर भुगतान किया जाना अपेक्षित था, किन्तु ऐसा न करके ठेकेदार को वर्णित कार्य मद के अन्तर्गत 0.38 घन मीटर कार्य प्रमात्रा हेतु ₹2198 की दर से ₹836 का अधिक भुगतान किया गया है, जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि को पूर्ण छानबीन उपरान्त उचित स्त्रोत से वसूल करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 बिजली के बिलों पर विविध शुल्क ₹0.16 लाख का अनियमित भुगतान

चयनित माह के व्यय/भुगतान वाउचरों के उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेखों के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि हि0प्र0 राज्य बिजली बोर्ड अर्की को अदा किए गए बिजली के बिलों में निम्नानुसार विविध शुल्क व रख–रखाव शुल्क की ₹15532 सम्मिलित थी, जिनका भुगतान पूर्ण औचित्य स्पष्ट किए बिना किया गया प्रतीत होता है, क्योंकि पंचायत द्वारा जब बिजली के बिलों का भुगतान नियमित तौर पर बिजली बोर्ड की मांग अनुसार किया गया था तो विविध शुल्क भुगतान करने का कोई औचित्य नहीं बनता। अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित अनियमितता के सम्बन्ध में प्रकरण सम्बन्धित बोर्ड से उठाकर भुगतान किए गए शुल्कों का नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट करवाया जाए अन्यथा अनियमित शुल्कों का भविष्य में देय राशि में से समायोजन करके समाधान किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वा0सं0 / दि0	मी0 / बिल सं0	बिल की राशि (₹ में)	**Maintenance Charges** की राशि (₹ में)	**Sundary Charges** की राशि (₹ में)
9 / 17.1.17	A-1151/16000009290	14891	4200	–
–यथोपरि–	AH-119/150000008800	7342	2590	–
–यथोपरि–	AB-190/18000009025	8239	819	–
–यथोपरि–	AF-203/18000009026	3518	819	–
–यथोपरि–	AH-119/00516652	11158	2708	595
–यथोपरि–	A-1151	18351	2708	696
–यथोपरि–	AF-203	827	162	43
–यथोपरि–	AB-190	1680	162	31
		कुल जोड़	**14168**	**1364**

22 सामान्य भविष्य निधि, पैन्शन तथा ग्रेच्युटी निधि के लेखों का रख–रखाव नियमानुसार न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या LSG-B(1)-1/79-iii, दिनांक 25.4.2000 द्वारा Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension, Gratuity & General Provident Fund) Rules 2000 अधिसूचित किए गए है। इन नियमों के नियम 3 में प्रावधान किया गया है कि नगर पालिका के कर्मचारियों को पैन्शन लाभों की अदायगी के उद्देश्य हेतु निदेशक द्वारा पेन्शन तथा ग्रेच्युटी निधि की स्थापना करने के साथ–2 इसका रख–रखाव भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस नियम के उप नियम (3) में यह प्रावधान भी किया गया है कि नगर पालिकाएं कर्मचारियों के समय वेतनमान (Time Scale) के अधिकतम पर क्रमशः 12**%** तथा 5**%** की दर से पेन्शन व ग्रेच्युटी का माहवार अभिदान उक्त पेन्शन व ग्रेच्युटी निधि में जमा करवाएगी। उक्त नियमों के नियम 9 में आगे यह भी प्रावधान किया गया कि सामान्य भविष्य निधि स्थापना तथा लेखों का रख रखाव भी निदेशक द्वारा किया जाएगा।

नगर पंचायत के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया किः—

(क) उक्त वर्णित निधियों के लेखों का रख रखाव निदेशक की अपेक्षा स्वयं नगर परिषद द्वारा ही किया गया था, जोकि नियमों की सरासर उल्लंघना है जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें।

(ख) नियमानुसार पेन्शन, ग्रेच्युटी, सामान्य निधि एवं अंशदायी पेन्शन योजना का अलग—अलग बैंक बचत खाता/बही खाता का रख रखाव किया जाना अपेक्षित था, किन्तु इसके प्रतिकूल नगर पंचायत द्वारा अंशदायी पेन्शन योजना व सामान्य भविष्य निधि के बैंक में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के व्यक्तिगत बचत खाते खोल रखे थे, जिसमें सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी पेन्शन योजना का नियोक्ता हिस्सा व अंशदायी पेन्शन योजना का कर्मचारी का अभिदान जमा किया गया था, जोकि नियमों की सरासर उल्लंघना है तथा अनियमित है, जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें तथा भविष्य में नियमानुसार अभिलेख का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

23 भण्डार का भौतिक सत्यापन (Physical Verificatiion) न करना

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता के अध्याय 12 के पैरा 12.43 (सी) में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रभारी स्टोर, लेखा विभाग और कार्यकारी अधिकारी/सचिव नगरपालिका/नगर पंचायत या अधिकृत कर्मचारी स्टोर में पड़ी वस्तुओं का भौतिक सत्यापना करेगें तथा इसका मिलान किताबी अभिलेख के अनुसार शेष से करेंगे और कोई अन्तर पाए जाने की स्थिति में निदेशक द्वारा निर्धारित यथोचित सुधारात्मक कदम उठाएंगे। अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि नगर पंचायत द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी, जोकि वर्णित प्रावधानों की सरासर उल्लंघना के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता का संज्ञान लेते हुए स्टोर/स्टॉक का नियमित भौतिक सत्यापन प्रतिवर्ष करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि स्टोर/स्टॉक की किसी भी दुर्विनियोजन/Pilferage की सम्भावना से बचा जा सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24 **लघु आपति विवरणिकाः—**सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर दिया गया था। अतः यह विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई थी।

25 **निष्कर्षः—** लेखों में सुधार की आवश्यकता है तथा गत अंकेक्षण पैरों पर ठोस तथा तुरन्त कार्यवाही करने की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता / —
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला—171009.
फोन नं0 0177—2620881

पृष्ठांकनसंख्याः(V)(42) / फिन(एल0ए0)खण्ड—3—4580—4581दिनांक,02.07.2018
शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत (1) सचिव, नगर पंचायत अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर प्रेषित करें।

(2) निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला—171002 को पैरा 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

हस्ता / —
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला—171009.
फोन नं0 0177—2620881

परिशिष्ट "क" **पैरा संख्या 1 (ग) के सन्दर्भ में**

नगर पंचायत अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 4/2010 से 3/2015 में सम्मिलित गत अनिर्णीत अंकेक्षण पैरों की स्थिति

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 07/1967 से 01/1970

1	पैरा–1	अनिर्णीत
2	पैरा–2	अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 02/1970 से 03/1972

1	पैरा–4	अनिर्णीत

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1972 से 03/1977

1	पैरा–5	अनिर्णीत
2	पैरा–9	अनिर्णीत
3	पैरा–11	अनिर्णीत
4	पैरा–12	अनिर्णीत
5	पैरा–13	अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1977 से 03/1981

1	पैरा–8	अनिर्णीत
2	पैरा–9	अनिर्णीत
3	पैरा–10	अनिर्णीत
4	पैरा–11	अनिर्णीत
5	पैरा–12	अनिर्णीत
6	पैरा–12 (सी)	अनिर्णीत
7	पैरा–13	अनिर्णीत
8	पैरा–14 (ए)	अनिर्णीत
9	पैरा–14 (बी)	अनिर्णीत
10	पैरा–14 (सी)	अनिर्णीत
11	पैरा–14 (डी)	अनिर्णीत
12	पैरा–14 (ई)	अनिर्णीत
13	पैरा–14 (एफ)	अनिर्णीत
14	पैरा–14 (एच)	अनिर्णीत

15	पैरा–14 (आई)	अनिर्णीत
16	पैरा–14 (जे)	अनिर्णीत
17	पैरा–15	अनिर्णीत
18	पैरा–16	अनिर्णीत
19	पैरा–17	अनिर्णीत
20	पैरा–21	अनिर्णीत
21	पैरा–23	अनिर्णीत
22	पैरा–25 (सी)	अनिर्णीत

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1982 से 03/1983

1	पैरा–9 (बी)	अनिर्णीत
2	पैरा–9 (सी)	अनिर्णीत

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1983 से 03/1987

1	पैरा–5 (बी)	अनिर्णीत
2	पैरा–9 (ए)	अनिर्णीत

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1987 से 03/1989

1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–7	अनिर्णीत
3	पैरा–8	अनिर्णीत
4	पैरा–9	अनिर्णीत
5	पैरा–13	अनिर्णीत
6	पैरा–16	अनिर्णीत
7	पैरा–17	अनिर्णीत

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1989 से 03/1994

1	पैरा–5 (ii)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (iii) (जी)	अनिर्णीत
3	पैरा–6	अनिर्णीत
4	पैरा–8	अनिर्णीत
5	पैरा–11 (i)	अनिर्णीत
6	पैरा–11 (ii)	अनिर्णीत
7	पैरा–11 (iii)	अनिर्णीत

8	पैरा–11 (i) (के)	अनिर्णीत
9	पैरा–11 (i) (के,एच)	अनिर्णीत
10	पैरा–11 (ii)(के)	अनिर्णीत
11	पैरा–11 (iii)(के)	अनिर्णीत
12	पैरा–11 (iv)	अनिर्णीत
13	पैरा–11 (iv)(के)	अनिर्णीत
14	पैरा–11 (iv)(के, एच)	अनिर्णीत
15	पैरा–11 (iv) (जी)	अनिर्णीत
16	पैरा–11 (iv)(जी, एच)	अनिर्णीत
17	पैरा–11 (iv) (ए0एन0जी0)	अनिर्णीत
18	पैरा–11 (v)	अनिर्णीत
19	पैरा–11 (v)(के)	अनिर्णीत
20	पैरा–11 (v)(के,एच)	अनिर्णीत
21	पैरा–11 (v)(जी)	अनिर्णीत
22	पैरा–11 (v)(जी, एच)	अनिर्णीत
23	पैरा–11 (v)(ए, एन, जी)	अनिर्णीत
24	पैरा–11 (vi)(के)	अनिर्णीत
25	पैरा–11 (vi) (के,एच)	अनिर्णीत
26	पैरा–11 (vii)	अनिर्णीत
27	पैरा–11 (vii)(के)	अनिर्णीत
28	पैरा–11 (vii) (के, एच)	अनिर्णीत

29	पैरा–11 (vii)(जी)	अनिर्णीत
30	पैरा–11 (vii)(जी,एच)	अनिर्णीत
31	पैरा–11 (vii) (ए,एन,जी)	अनिर्णीत
32	पैरा–11 (viii)	अनिर्णीत
33	पैरा–11 (xi)	अनिर्णीत
34	पैरा–11 (x) (के)	अनिर्णीत
35	पैरा–11 (x) (के, एच)	अनिर्णीत
36	पैरा–11 (xii)	अनिर्णीत
37	पैरा–11 (xii)(के)	अनिर्णीत
38	पैरा–11 (xii) (के, एच)	अनिर्णीत
39	पैरा–11 (xii)(जी)	अनिर्णीत
40	पैरा–11 (xii)(जी, एच)	अनिर्णीत
41	पैरा–11 (xiii)(के)	अनिर्णीत
42	पैरा–11 (xiii) (के, एच)	अनिर्णीत
43	पैरा–11 (xiii)(जी)	अनिर्णीत
44	पैरा–11 (xiv)	अनिर्णीत
45	पैरा–11 (xv)(के)	अनिर्णीत
46	पैरा–11 (xv)(के, एच)	अनिर्णीत
47	पैरा–11 (xv)(जी)	अनिर्णीत
48	पैरा–11 (xv) (जी,एच)	अनिर्णीत
49	पैरा–11 (xv)	अनिर्णीत

	(ए0एन0जी)	
50	पैरा–11 (xv)(ch)	अनिर्णीत
51	पैरा–11 (xv)(chh)	अनिर्णीत
52	पैरा–11 (xvi) (k)	अनिर्णीत
53	पैरा–11 (xvi) (kh)	अनिर्णीत
54	पैरा–11 (xvi) (g)	अनिर्णीत
55	पैरा–11 (xvii)	अनिर्णीत
56	पैरा–11 (xviii)	अनिर्णीत
57	पैरा–11 (xix)	अनिर्णीत
58	पैरा–11 (xx)	अनिर्णीत
59	पैरा–11 (xxi) (k)	अनिर्णीत
60	पैरा–11 (xxi) (kh)	अनिर्णीत
61	पैरा–11 (xxi) (g)	अनिर्णीत
62	पैरा–11 (xxi) (gh)	अनिर्णीत
63	पैरा–11 (xxi) (ahg)	अनिर्णीत
64	पैरा–11 (xxi) (ch)	अनिर्णीत
65	पैरा–11 (xxi) (chh)	अनिर्णीत
66	पैरा–11 (xxii) (k)	अनिर्णीत
67	पैरा–11 (xxii) (kh)	अनिर्णीत
68	पैरा–12 (i) (k)	अनिर्णीत
69	पैरा–12 (i) (kh)	अनिर्णीत
70	पैरा–12 (i) (g)	अनिर्णीत
71	पैरा–12 (ii)	अनिर्णीत

72	पैरा–12 (iii)	अनिर्णीत
73	पैरा–12 (iv)	अनिर्णीत
74	पैरा–12 (v)	अनिर्णीत
75	पैरा–12 (vi)	अनिर्णीत
76	पैरा–13	अनिर्णीत
77	पैरा–14	अनिर्णीत
78	पैरा–15 (i)	अनिर्णीत
79	पैरा–15 (iv)	अनिर्णीत
80	पैरा–15 (v)	अनिर्णीत
81	पैरा–15 (vi)	अनिर्णीत
82	पैरा–16 (i)	अनिर्णीत
83	पैरा–16 (iii)(k)	अनिर्णीत
84	पैरा–16 (iii)(kh)	अनिर्णीत
85	पैरा–16 (iii)(g)	अनिर्णीत
86	पैरा–17 (i)	अनिर्णीत
87	पैरा–17 (ii)(Kh)	अनिर्णीत
88	पैरा–18	अनिर्णीत
89	पैरा–18 (k)	अनिर्णीत
90	पैरा–18 (kh)	अनिर्णीत
91	पैरा–19	अनिर्णीत
92	पैरा–20 (1)	अनिर्णीत
93	पैरा–20 (i) (k)	अनिर्णीत
94	पैरा–20 (i) (kh)	अनिर्णीत
95	पैरा–20 (ii) (g)	अनिर्णीत
96	पैरा–20 (iii)	अनिर्णीत
97	पैरा–20 (iv)	अनिर्णीत
98	पैरा–20 (v) (k)	अनिर्णीत
99	पैरा–20 (v) (kh)	अनिर्णीत
100	पैरा–20 (vi)	अनिर्णीत

101	पैरा–20 (vii) (k)	अनिर्णीत
102	पैरा–20 (viii)	अनिर्णीत
103	पैरा–20 (ix)	अनिर्णीत
104	पैरा–20 (ix) (k)	अनिर्णीत
105	पैरा–20 (ix) (kh)	अनिर्णीत

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1994 से 03/1997

1	पैरा 2	अनिर्णीत
2	पैरा 3(ii)	अनिर्णीत
3	पैरा 3(kh)	अनिर्णीत
4	पैरा 4(kh)	अनिर्णीत
5	पैरा 5(k)	अनिर्णीत
6	पैरा 5(kh)	अनिर्णीत
7	पैरा 5(g)	अनिर्णीत
8	पैरा 5(gh)	अनिर्णीत
9	पैरा 5(ang)	अनिर्णीत
10	पैरा 5(ch)	अनिर्णीत
11	पैरा 5(chh)	अनिर्णीत
12	पैरा 5(j)	अनिर्णीत
13	पैरा 5(jh))	अनिर्णीत
14	पैरा 7(ch)	अनिर्णीत
15	पैरा 8(k)	अनिर्णीत
16	पैरा 8(kh)	अनिर्णीत
17	पैरा 9	अनिर्णीत
18	पैरा 10(kh)(i)	अनिर्णीत
19	पैरा 10(kh)(ii)	अनिर्णीत
20	पैरा 10(kh)(iii)	अनिर्णीत
21	पैरा 12	अनिर्णीत
22	पैरा 13	अनिर्णीत
23	पैरा 14	अनिर्णीत

24	पैरा 15(k)	अनिर्णीत
25	पैरा 7(k)	अनिर्णीत
26	पैरा 7(ang)	अनिर्णीत
27	पैरा 15(kh)(i)	अनिर्णीत
28	पैरा 15(kh)(iii)	अनिर्णीत
29	पैरा 15(kh)(iv)	अनिर्णीत
30	पैरा 15(kh)(v)	अनिर्णीत
31	पैरा 15(kh)(vi)	अनिर्णीत
32	पैरा 15(kh)(vii)	अनिर्णीत
33	पैरा 16	अनिर्णीत
34	पैरा 17(k)(i)	अनिर्णीत
35	पैरा 17(k)(ii)	अनिर्णीत
36	पैरा 17(k)(iii)	अनिर्णीत
37	पैरा 17(k)(iv)	अनिर्णीत
38	पैरा 17(kh)(i)	अनिर्णीत
39	पैरा 17(kh)(ii)	अनिर्णीत
40	पैरा 17(kh)(iii)	अनिर्णीत
41	पैरा 17(kh)(iv)	अनिर्णीत
42	पैरा 17(g)(i)	अनिर्णीत
43	पैरा 17(g)(ii)	अनिर्णीत
44	पैरा 17(g)(iii)	अनिर्णीत
45	पैरा 17(gh)(i)	अनिर्णीत
46	पैरा 17(gh)(ii)	अनिर्णीत
47	पैरा 17(gh)(iii)	अनिर्णीत
48	पैरा 17(gh)(iv)	अनिर्णीत
49	पैरा 17(ang)(i)	अनिर्णीत
50	पैरा 17(ang)(ii)	अनिर्णीत
51	पैरा 17(ang)(iii)	अनिर्णीत
52	पैरा 17(ang)(iv)	अनिर्णीत

53	पैरा 17(ang)(v)	अनिर्णीत
54	पैरा 17(ang)(vi)	अनिर्णीत
55	पैरा 17(ch)(i)	अनिर्णीत
56	पैरा 17(ch)(ii)	अनिर्णीत
57	पैरा 17(ch)(iii)	अनिर्णीत
58	पैरा 17(ch)(iv)	अनिर्णीत
59	पैरा 17(chh)(i)	अनिर्णीत
60	पैरा 17(chh)(ii)	अनिर्णीत
61	पैरा 21(k)	अनिर्णीत
62	पैरा 21(kh)	अनिर्णीत
63	पैरा 21(g)	अनिर्णीत
64	पैरा 21(gh)	अनिर्णीत
65	पैरा 22	अनिर्णीत
66	पैरा 24(kh)	अनिर्णीत
67	पैरा 24(g)	अनिर्णीत
68	पैरा 24(j)	अनिर्णीत
69	पैरा 24(yen)	अनिर्णीत
70	पैरा 25	अनिर्णीत
71	पैरा 26(iv)	अनिर्णीत
72	पैरा 26(v)	अनिर्णीत
73	पैरा 26(vi)	अनिर्णीत
74	पैरा 26(vii)	अनिर्णीत
75	पैरा 26(viii)	अनिर्णीत
76	पैरा 26(ix)	अनिर्णीत
77	पैरा 26(x)	अनिर्णीत
78	पैरा 26(xi)	अनिर्णीत
79	पैरा 26(xii)	अनिर्णीत
80	पैरा 26(xiii)	अनिर्णीत
81	पैरा 26(xiv)	अनिर्णीत

82	पैरा 26(xvi)	अनिर्णीत
83	पैरा 26(xvii)	अनिर्णीत
84	पैरा 26(xviii)	अनिर्णीत
85	पैरा 26(ix)	अनिर्णीत
86	पैरा 26(x)	अनिर्णीत
87	पैरा 26(xi)	अनिर्णीत
88	पैरा 26(xii)	अनिर्णीत
89	पैरा 26(xiii)	अनिर्णीत
90	पैरा 26(xiv)	अनिर्णीत
91	पैरा 26(xvi)	अनिर्णीत
92	पैरा 26(xvii)	अनिर्णीत
93	पैरा 26(xviii)	अनिर्णीत
94	पैरा 26(xix)	अनिर्णीत
95	पैरा 26(xx)	अनिर्णीत
96	पैरा 26(xxi)	अनिर्णीत
97	पैरा 26(xxiii)	अनिर्णीत
98	पैरा 26(xxiv)	अनिर्णीत
99	पैरा 28	अनिर्णीत

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1997 से 03/2005

1	पैरा 3(kh)	अनिर्णीत
2	पैरा 3(gh)(i)	अनिर्णीत
3	पैरा 3(gh)(ii)	अनिर्णीत
4	पैरा 7	अनिर्णीत
5	पैरा 8(i)	अनिर्णीत
6	पैरा 8(ii)	अनिर्णीत
7	पैरा 9	अनिर्णीत
8	पैरा 10(i)	अनिर्णीत
9	पैरा 10(k)	अनिर्णीत

10	पैरा 10(kh)	अनिर्णीत
11	पैरा 11(i)	अनिर्णीत
12	पैरा 11(k)	अनिर्णीत
13	पैरा 11(kh)(i)	अनिर्णीत
14	पैरा 11(kh)(ii)	अनिर्णीत
15	पैरा 11(kh)(iii)	अनिर्णीत
16	पैरा 11(kh)(iv)	अनिर्णीत
17	पैरा 11(kh)(v)	अनिर्णीत
18	पैरा 11(kh)(vi)	अनिर्णीत
19	पैरा 11(kh)(vii)	अनिर्णीत
20	पैरा 11(kh)(viii)	अनिर्णीत
21	पैरा 11(kh)(xi)	अनिर्णीत
22	पैरा 11(kh)(x)	अनिर्णीत
23	पैरा 11(kh)(xi)	अनिर्णीत
24	पैरा 11(kh)(xii)	अनिर्णीत
25	पैरा 11(kh)(xiii)	अनिर्णीत
26	पैरा 11(kh)(xiv)	अनिर्णीत
27	पैरा 11(kh)(xv)	अनिर्णीत
28	पैरा 11(kh)(xvi)	अनिर्णीत
29	पैरा 11(kh)(xvii)	अनिर्णीत
30	पैरा 11(kh)(xviii)	अनिर्णीत
31	पैरा 11(kh)(xix)	अनिर्णीत
32	पैरा 11(g)(i)	अनिर्णीत
33	पैरा 11(g)(ii)	अनिर्णीत
34	पैरा 11(chh)	अनिर्णीत
35	पैरा 11(ang)	अनिर्णीत
36	पैरा 11(ch)	अनिर्णीत
37	पैरा 12(i)	अनिर्णीत
38	पैरा 12(ii)	अनिर्णीत

39	पैरा 13	अनिर्णीत
40	पैरा 14	अनिर्णीत
41	पैरा 15	अनिर्णीत
42	पैरा 16	अनिर्णीत
43	पैरा 17	अनिर्णीत
44	पैरा 18(k)	अनिर्णीत
45	पैरा 18(kh)(i)	अनिर्णीत
46	पैरा 18(kh)(ii)	अनिर्णीत
47	पैरा 18(g)(i)	अनिर्णीत
48	पैरा 18(g)(ii)	अनिर्णीत
49	पैरा 18(gh)(i) & (ii)	अनिर्णीत
50	पैरा 18(ang)	अनिर्णीत
51	पैरा 18(ch)	अनिर्णीत
52	पैरा 18(chh)(i)	अनिर्णीत
53	पैरा 18(chh)(ii)	अनिर्णीत
54	पैरा 18(j)	अनिर्णीत
55	पैरा 18(j)(i)	अनिर्णीत
56	पैरा 18(nh)	अनिर्णीत
57	पैरा 18(t)(i)	अनिर्णीत
58	पैरा 18(t)(ii)	अनिर्णीत
59	पैरा 18(th)	अनिर्णीत
60	पैरा 18(dh)(i)	अनिर्णीत
61	पैरा 18(dh)(ii)	अनिर्णीत
62	पैरा 18(dh)(iii)	अनिर्णीत
63	पैरा 18(adn)(i)	अनिर्णीत
64	पैरा 18(adn)(ii)	अनिर्णीत
65	पैरा 18(adn)(iii)	अनिर्णीत
66	पैरा 18(anh)(i)	अनिर्णीत
67	पैरा 18(anh)(ii)	अनिर्णीत

68	पैरा 18(t)	अनिर्णीत
69	पैरा 18(n)	अनिर्णीत
70	पैरा 18(p)	अनिर्णीत
71	पैरा 18(ph)	अनिर्णीत
72	पैरा 18(b)	अनिर्णीत
73	पैरा 19(kh)	अनिर्णीत
74	पैरा 19(g)	अनिर्णीत
75	पैरा 19(gh)(i)	अनिर्णीत
76	पैरा 19(gh)(ii)	अनिर्णीत
77	पैरा 19(gh)(iii)	अनिर्णीत
78	पैरा 19(ang)	अनिर्णीत
79	पैरा 19(ch)	अनिर्णीत
80	पैरा 19(chh)(i)	अनिर्णीत
81	पैरा 19(chh)(ii)	अनिर्णीत
82	पैरा 19(chh)(iii)	अनिर्णीत
83	पैरा 19(chh)(iv)	अनिर्णीत
84	पैरा 19(j)(i)	अनिर्णीत
85	पैरा 19(j)(ii)	अनिर्णीत
86	पैरा 19(j)(iii)	अनिर्णीत
87	पैरा 19(jh)	अनिर्णीत
88	पैरा 19(jh)(ii)	अनिर्णीत
89	पैरा 19(jh)(iii)	अनिर्णीत
90	पैरा 20(k)	अनिर्णीत
91	पैरा 20(kh)	अनिर्णीत
92	पैरा 20(g)	अनिर्णीत
93	पैरा 20(gh)	अनिर्णीत
94	पैरा 20(ch)	अनिर्णीत
95	पैरा 20(ch)(i)	अनिर्णीत
96	पैरा 20(ch)(ii)	अनिर्णीत

N.P. Arki

97	पैरा 20(ch)(iii)	अनिर्णीत
98	पैरा 20(ch)(iv)	अनिर्णीत
99	पैरा 20(ch)(v)	अनिर्णीत
100	पैरा 20(ch)(vi)	अनिर्णीत
101	पैरा 20(ch)(vii)	अनिर्णीत
102	पैरा 21(i)	अनिर्णीत
103	पैरा 21(ii)	अनिर्णीत
104	पैरा 22(kh)	अनिर्णीत
105	पैरा 22(g)	अनिर्णीत
106	पैरा 23(k)	अनिर्णीत
107	पैरा 23(kh)	अनिर्णीत
108	पैरा 23(g)	अनिर्णीत
109	पैरा 23(gh)(i)	अनिर्णीत
110	पैरा 23(ch)(i)	अनिर्णीत
111	पैरा 23(chh)	अनिर्णीत
112	पैरा 23(j)	अनिर्णीत
113	पैरा 23(jh)	अनिर्णीत
114	पैरा 23(anh)	अनिर्णीत
115	पैरा 23(t)	अनिर्णीत
116	पैरा 24(k)	अनिर्णीत
117	पैरा 24(kh)	अनिर्णीत
118	पैरा 24(g)	अनिर्णीत
119	पैरा 25(i)	अनिर्णीत
120	पैरा 25(iii)	अनिर्णीत
121	पैरा 26(k)	अनिर्णीत
122	पैरा 26(kh)	अनिर्णीत
123	पैरा 26(g)	अनिर्णीत
124	पैरा 26(gh)	अनिर्णीत
125	पैरा 26(ang)	अनिर्णीत

126	पैरा 26(ch)	अनिर्णीत
127	पैरा 26(chh)	अनिर्णीत
128	पैरा 27	अनिर्णीत

(11) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2005 से 03/2007

1	पैरा 2	अनिर्णीत
2	पैरा 4(बी)	अनिर्णीत
3	पैरा 4(सी)	अनिर्णीत
4	पैरा 4(डी)	अनिर्णीत
5	पैरा 4(डी)(i)	अनिर्णीत
6	पैरा 4(एफ)	अनिर्णीत
7	पैरा 4(जी)	अनिर्णीत
8	पैरा 6(i)	अनिर्णीत
9	पैरा 6(ii)	अनिर्णीत
10	पैरा 6(iv)	अनिर्णीत
11	पैरा 6(vi)	अनिर्णीत
12	पैरा 6(x)(b)	अनिर्णीत
13	पैरा 6(xi)	अनिर्णीत
14	पैरा 6(xii)	अनिर्णीत
15	पैरा 6(xiii)	अनिर्णीत
16	पैरा 7(i)	अनिर्णीत
17	पैरा 7(ii)	अनिर्णीत
18	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत
19	पैरा 7(iv)	अनिर्णीत
20	पैरा 7(v)	अनिर्णीत
21	पैरा 8(i)	अनिर्णीत
22	पैरा 8(ii)	अनिर्णीत

(12) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2010

1	पैरा 4.3	अनिर्णीत
2	पैरा 4.4	अनिर्णीत
3	पैरा 4.5	अनिर्णीत
4	पैरा 5	अनिर्णीत
5	पैरा 6.1	अनिर्णीत
6	पैरा 6.2	अनिर्णीत
7	पैरा 6.2.1	अनिर्णीत
8	पैरा 6.2.2	अनिर्णीत
9	पैरा 6.5	अनिर्णीत
10	पैरा 6.7	अनिर्णीत
11	पैरा 6.8	अनिर्णीत
12	पैरा 6.10	अनिर्णीत
13	पैरा 6.11	अनिर्णीत
14	पैरा 7	अनिर्णीत
15	पैरा 7, 7.1.1 & 7.1.2	अनिर्णीत
16	पैरा 7.2 to 7.2.3	अनिर्णीत
17	पैरा 7.3	अनिर्णीत
18	पैरा 8.1	अनिर्णीत
19	पैरा 8.3	अनिर्णीत
20	पैरा 8.3.1	अनिर्णीत
21	पैरा 8.3.2	अनिर्णीत
22	पैरा 8.4	अनिर्णीत
23	पैरा 8.5	अनिर्णीत
24	पैरा 8.6	अनिर्णीत
25	पैरा 8.7	अनिर्णीत
26	पैरा 8.8	अनिर्णीत

27	पैरा 8.9	अनिर्णीत	
28	पैरा 8.9.1	अनिर्णीत	
29	पैरा 8.9.2	अनिर्णीत	
30	पैरा 8.9.4	अनिर्णीत	
31	पैरा 8.10	अनिर्णीत	
32	पैरा 9	अनिर्णीत	
33	पैरा 9.3	अनिर्णीत	
34	पैरा 10	अनिर्णीत	
35	पैरा 10.2	अनिर्णीत	
36	पैरा 11.1	अनिर्णीत	

(13) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2010 से 03/2015

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क प्राप्त होने पर निर्णीत)
2	पैरा 4, 4.1 व 4.2	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
3	पैरा 4.3	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
4	पैरा 4.4	अनिर्णीत	
5	पैरा 5	अनिर्णीत	
6	पैरा 6	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
7	पैरा 7	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
8	पैरा 8	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)

9	पैरा 9	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
10	पैरा 9.1	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
11	पैरा 9.2	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
12	पैरा 9.3	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
13	पैरा 9.4	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
14	पैरा 10	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
15	पैरा 10.1	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
16	पैरा 10.2	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
17	पैरा 11	अनिर्णीत	
18	पैरा 12	अनिर्णीत	
19	पैरा 13	अनिर्णीत	
20	पैरा 14	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम

			वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
21	पैरा 15	अनिर्णीत	
22	पैरा 16	अनिर्णीत	
23	पैरा 17	अनिर्णीत	
24	पैरा 18	अनिर्णीत	
25	पैरा 19.1	निर्णीत	(₹8525 की सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली करने पर निर्णीत)
26	पैरा 19.2	निर्णीत	(₹11760 की सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली करने पर निर्णीत)
27	पैरा 19.3	अनिर्णीत	
28	पैरा 19.4	निर्णीत	(₹200 की सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली करने पर निर्णीत)
29	पैरा 19.5	निर्णीत	(₹23 की सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली करने पर निर्णीत)
30	पैरा 20	अनिर्णीत	
31	पैरा 21	अनिर्णीत	
32	पैरा 22	अनिर्णीत	
33	पैरा 23	अनिर्णीत	
34	पैरा 24	अनिर्णीत	
35	पैरा 25	अनिर्णीत	
36	पैरा 26	अनिर्णीत	
37	पैरा 27	अनिर्णीत	
38	पैरा 28	अनिर्णीत	
39	पैरा 29	अनिर्णीत	
40	पैरा 30	अनिर्णीत	
41	पैरा 31	अनिर्णीत	
42	पैरा 32	अनिर्णीत	

43	पैरा 33	अनिर्णीत	
44	पैरा 34	अनिर्णीत	
45	पैरा 35	अनिर्णीत	
46	पैरा 36	अनिर्णीत	
47	पैरा 37	अनिर्णीत	
48	पैरा 38	अनिर्णीत	
49	पैरा 39	अनिर्णीत	
50	पैरा 40	अनिर्णीत	
51	पैरा 41	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
52	पैरा 42	निर्णीत	(₹860 की सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली करने पर निर्णीत)
53	पैरा 43	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का सार

प्रारम्भिक शेष	482
वर्तमान प्रतिवेदन में सम्मिलित पैरे	22
वर्तमान अंकेक्षण में निर्णीत पैरे	21
अन्तशेष	**483**